<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

रिषिकेश बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम.प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 202/2022</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>25-07-2022</td><td>अपीलार्थी रिषिकेश प्रजापत, निवासी जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.01.2022 में (1) जोधपुर के प्रसिद्ध मंदिर श्री जूना खेड़ापति बालाजी मंदिर से लेकर आखलिया चौराहा तक जाने वाली सड़क पर कसाईयों/मांस बेचने वालों की कुल कितनी दूकानें है। व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।
अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 962 दिनांक 11.07.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर नगर निगम, जोधपुर, उत्तर से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जोधपुर को कार्यालय के पत्रांक 454 दिनांक 06.42022 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई।
चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर नगर निगम जोधपुर, उत्तर होने से विधिक प्रक्रिया के तहत प्रार्थी को आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जोधपुर को स्थान्तरित किया जा चुका है तथा उनके द्वारा सूचना नहीं दी गई है तो उनके विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर जोधपुर नहीं है अतः अपीलार्थी की अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>